पत्र संख्या–11 / न0वि0–विविध–03 / 2022–   /न0प्र0नि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

प्रेषक,

उमाकांत पाण्डेय,
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

सेवा में

नगर आयुक्त,
बिहार शरीफ नगर निगम।

पटना, दिनांक–

विषयः–बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के तहत बिहार शरीफ नगर निगम को प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन के निष्पादन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 68 दिनांक 08.01.2022 एवं 97 दिनांक 11.01.2022 द्वारा विभागीय मार्गदर्शन की मांग की गई है।

2. पत्रांक 68 दिनांक 08.01.2022 की कंडिका 1 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 के प्रावधान के अनुसार मौजूदा अनधिकृत मोबाईल टावरों या ओ0एफ0सी0 के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने की तिथि के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार पूर्व से मौजूद अनधिकृत टावरों के नियमितीकरण हेतु आवेदन प्राप्त कर नियमावली के प्रावधान के अनुसार निर्धारित शुल्क लेकर नियमित किया जाना अपेक्षित है।

3. पत्र की कंडिका 2 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित Indemnity Bond से संबंधित स्टाम्प पर ही Indemnity Bond लेना है (Indian Stamp (Bihar Amendment) Act की धारा 57–प्रतिभूति के मूल्य का 3 प्रतिशत जो अधिकतम रू0 1000 / –होगा)। कंडिका 3 के संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार मोबाईल टावर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 8.9 (ख) के अनुसार स्वयं के पोल हेतु नगर निगम के लिए 120 रूपये प्रतिवर्ष प्रति पोल किराया वसूल किये जाने का प्रावधान के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित है।

4. पत्रांक 97 दिनांक 11.01.2022 द्वारा याचित मार्गदर्शन के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बैंक गारंटी से संबंधित विवरणी ऑनलाईन अपलोड करने हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर में वांछित विकल्प उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। तत्काल बैंक गारंटी का भुगतान ऑफलाईन भी प्राप्त कर कार्रवाई किया जा सकता है।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक–11 / न0वि0–विविध–03 / 2022– 192 /न0प्र0नि0, पटना, दिनांक–24/01/22

प्रतिलिपिः–सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/22

अपर निदेशक–सह–परियोजना पदाधिकारी,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।